राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

निर्वाचन सदन, प्लाट नं. 2, सैक्टर-17,
पंचकूला।

Website : www.secharyana.gov.in
Email id : cao.sec@hry.nic.in

Phone No. +91 172 258 4810
Fax No. : +91 172 258 5904

क्रमांक रा0नि0आ0/2-लेखा/2017/992-1013

दिनांकः 02.08.2017

सेवा में,

सभी उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत/नगरनिकाय)
हरियाणा।

विषयः- पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों के आम चुनाव/उप चुनाव के दौरान नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को चुनाव डयूटी के बदले पर मानदेय/रिफ्रेशमैंट की अदायगी समय पर करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

2. विषयांकित मामले में आपको लिखा जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों के आम चुनाव/उप चुनाव के दौरान आपके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों की चुनाव डयूटी लगाई जाती है। लेकिन प्रायः देखने में आया है कि कई अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सम्बन्धित कार्यालय में अपना बैंक खाता संख्या, यूनिक कोड समय पर जमा नही करवाने के कारण सम्बन्धित उपायुक्त कार्यालय द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को चुनाव डयूटी के बदले मानदेय/रिफ्रेशमैंट की अदायगी समय पर नही की जाती है। अतः आयोग में कई जिलों से मानदेय/रिफ्रेशमैंट की अदायगी समय पर न करने बारे शिकायतें भी प्राप्त होती रहती है।

3. आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आप पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों के आम चुनाव/उप चुनाव के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों की चुनाव डयूटी लगाते समय सम्बन्धित जिला के सभी विभागों को हिदायत जारी करें कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की चुनाव डयूटी लगाई गई है, वे रिहर्सल के समय या चुनाव डयूटी से पूर्व अपना बैंक खाता संख्या, यूनिक कोड (Unique Code of Payee) सम्बन्धित उपायुक्त कार्यालय/जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में समय पर जमा करवाएं ताकि चुनाव डयूटी के बदले मानदेय/रिफ्रेशमैंट की अदायगी समय पर की जा सके।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों के आम चुनाव/उप चुनाव के दौरान जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की चुनाव डयूटी लगाई जाती है। चुनाव समाप्त होने उपरान्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय/रिफ्रेशमैंट की अदायगी Electronic Payment System (EPS) के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर-2 करना सुनिश्चित करें।

(इसे अति आवश्यक समझा जाए)

अधीक्षक,
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा।